(भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड-ii में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)
*****

जैसलमेर हाउस,
26, मानसिंह रोड़,
नई दिल्ली-110011
दिनांक 26 दिसंबर, 2018

आदेश

संविधान के अनुछेद 214 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा ;

और मौजूदा आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए उपबंध करने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को अधिनियमित किया गया था ;

और उक्त अधिनियम की धारा 30 के खंड (क) में उपबंध दिया गया है कि तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय, उक्त अधिनियम के खंड 31 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 214 के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक पृथक न्यायालय का गठन किए जाने तक, साझा न्यायालय होगा ;

और उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में उपबंधित है कि धारा 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहा गया है) और हैदराबाद राज्य स्थित उच्च न्यायालय, तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय हो जाएगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में उपबंधित है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा, जो राष्ट्रपति, अधिसूचित आदेश द्वारा, नियत करें ;

और भारत के उच्चतम न्यायालय ने संघ सरकार बनाम टी. धनगोपाल व अन्य [2018 की एस.एल.पी. (सिविल) संख्या डी. 29890] में निर्णय दिया था कि सक्षम प्राधिकारी पर हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को क्रमशः तेलंगाना उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विभाजित करने की कोई अधिसूचना जारी करने पर कोई रोक नहीं है और इस प्रकार की अधिसूचना को जनवरी, 2019 के पहले दिन तक जारी किया जाना चाहिए ताकि ये दोनों उच्च न्यायालय अलग-अलग रूप से कार्य कर सकें और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यथाशीघ्र नए भवन में कार्य करना शुरू कर सके और तदनुसार अपील का निपटान किया गया था।

अब, अतः, संविधान के अनुच्छेद 214 और उपर्युक्त मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 30 की उप धारा (1) के

...2/-

खंड (क), धारा 31 की उपधारा (1) और धारा 31 की उपधारा (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एततद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जनवरी, 2019 के पहले दिन से एक अलग उच्च न्यायालय नामतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय गठित करते हैं जिसका प्रधान स्थान आंध्र प्रदेश राज्य में अमरावती में होगा और हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय, तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय हो जाएगा।

2 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के गठन के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीश नामत सर्व/श्री : -

(i) न्यायाधिपति श्री रमेश रन्गनाथन (वर्तमान में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं)
(ii) न्यायाधिपति चागारि प्रवीण कुमार
(iii) न्यायाधिपति सरस वेंकटनारायण भट्टी
(iv) न्यायाधिपति आकुल वेन्कट सेष साइ
(v) न्यायाधिपति दामा शेशाद्रि नायुडु (वर्तमान में स्थानांतरण पर केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं)
(vi) न्यायाधिपति मांधाता सीतारामा मूर्ति
(vii) न्यायाधिपति उप्माका दुर्ग प्रसाद राव
(viii) न्यायाधिपति ताल्लूरि सुनील चौदरि
(ix) न्यायाधिपति मल्लेवोलु सत्यनारायण मूर्ति
(x) न्यायाधिपति गुडिसेव श्याम प्रसाद
(xi) न्यायाधिपति कुमारी जवलकर उमा देवि
(xii) न्यायाधिपति नक्क बालायोगि
(xiii) न्यायाधिपति श्रीमती तेलप्रोलु रजनि
(xiv) न्यायाधिपति दुव्वासुला वेंकटा सुब्रमन्य सूर्यनारायना सोमयाजुलु
(xv) न्यायाधिपति श्रीमती कोंगर विजय लक्ष्मि ; और
(xvi) न्यायाधिपति मंतोज् गंगा रावु,

हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और वे जनवरी 2019 के पहले दिन से अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे ।

3. इस आदेश के उद्देश्यों के लिए एततद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(क) निम्नलिखित न्यायाधीश, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के साझा न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और वे 01 जनवरी, 2019 से तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे, नामत सर्व/श्री:-

(i) न्यायाधिपति पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार
(ii) न्यायाधिपति मामिडन्ना सत्या रत्ना श्री रामचंद्र राव

...3/-

(iii) न्यायाधिपति अडवल्लि राजाशेकर रेड्डी

(iv) न्यायाधिपति पोनुगोटि नवीन राव

(v) न्यायाधिपति चल्ला कोदान्डराम चौदरि

(vi) न्यायाधिपति बुलुसु शिवा शंकारा राव

(vii) न्यायाधिपति डॉ. शमीम अक्थर

(viii) न्यायाधिपति पोटलपल्लि केशवारावु

(ix) न्यायाधिपति अभिनंद कुमार शाविलि

(x) न्यायाधिपति तोडुपुनूरी अमस्नाथ गौड

(ख) श्री न्यायाधिपति रामय्यगारि सूभाश रेड्डि ने जो कि हैदराबाद स्थित साझा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत किया गया है, तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के लिए आवंटन के लिए विकल्प दिया था।

(ह/-)
रामनाथ कोविन्द
भारत के राष्ट्रपति
[एफ़ संख्या. के-11018/01/2014-यूएस.I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव